न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. कानाराम पुत्र सुरताराम 2 कालूराम पुत्र सुरताराम 3. हरकाराम पुत्र सुरताराम 4 सिदाराम पुत्र सुरताराम 5 रामूदेवी पत्नि सुरताराम 6 हरकुदेवी खेताराम 7 भेराराम पुत्र खेताराम 8 श्रवण पुत्र खेताराम प्रार्थी सं 7 व 8 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता हरकुदेवी पत्नि खेताराम जाति–जाट, निवासी–जाटों का बेरा तहसील सेडवा जिला बाडमेर	बनाम	1 अखाराम पुत्र तुलछाराम 2 गुला पुत्र मूलाराम 3 कुम्भा पुत्र मुला 4 देराम पुत्र मुला 5 जेठा पुत्र रूपा 6 मेहा पुत्र रूपा 7 गुला पुत्र रूपा 8 बाबु पुत्र आईदान 9 मंगलाराम पुत्र आईदान 10 नरसिंगा पुत्र लाला 11 मोटा पुत्र लाला 12 काना पुत्र लाला 13 नवला पुत्र गेना 14 भगाराम पुत्र ईशराराम 15 मोतीराम पुत्र ईशराराम 16 वीरमाराम पुत्र ईशराराम 17 रामू पुत्र सिमरथा 18 शेराराम पुत्र राऊ 19 सिमरथाराम पुत्र राऊ जाति–मेघवाल, निवासी जाटों का बेरा, तहसील सेडवा, जिला बाडमेर 20. गोविन्द पुत्र गोपाराम 21. रामचन्द पुत्र गोपाराम 22. मांगाराम पुत्र उमेदाराम 23. दमाराम पुत्र उमेदाराम 24. रावताराम पुत्र उमेदाराम जाति मेगवाल, निवासी हुसैन का तला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 25. नवलाराम पुत्र श्रीराम 26. हनुमानराम पुत्र श्रीराम 27. प्रहलाद पुत्र जगरूपा 28. पदमाराम पुत्र हनुमानराम 29. भोमाराम पुत्र हनुमान 30. मोतीराम पुत्र हनुमानराम 31. गंगा पुत्र हरखा 32. गुणेशा पुत्र हरखा 33. फुसा पुत्र हरखा 34. भूरा पुत्र हरखा 35. मंगला पुत्र हरखा 36. खरथा पुत्र हरखा 37. चेनाराम पुत्र लिछमणा 38. दीपाराम पुत्र लिछमणा 39. चुनीदेवी पत्नि रेखाराम 40. मोतीराम पुत्र मूलाराम जाति–जाट, निवासी–जाटों का बेरा, तह.सेड़वा, बाड़मेर 41. भीमाराम पुत्र सुमार 42. कृष्णराम पुत्र सुमार, जाति–भील, निवासी जाटों का बेरा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 43. राज्य सरकार के जरिये तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 94/2023 दिनांक : 4/5/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सारला भू. अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा जाटों का बेरा के खेत खसरा संख्या 656/338 रकबा 6.0784 हैक्टर व खसरा संख्या 657/338 रकबा 3.2375 हैक्टर, खसरा संख्या 658/338 रकबा 3.2375 हैक्टर कुल रकबा 12.5534 हैक्टर के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2023/1263 - 66 दिनांक 4/5/23

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी कानाराम पुत्र सुरताराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण अखाराम पुत्र तुलछाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ।

उपखण्ड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 94/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

कानाराम वगैरा बनाम अखाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री श्रीराम विश्नोई

दिनांक –

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सारला भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा जाटों का बेरा के खेत खसरा संख्या 656/338 रकबा 6.0784 हैक्टर व खसरा संख्या 657/338 रकबा 3.2375 हैक्टर, खसरा संख्या 658/338 रकबा 3.2375 हैक्टर कुल रकबा 12.5534 हैक्टर स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सारला भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा जाटों का बेरा के खेत खसरा संख्या 656/338 रकबा 6.0784 हैक्टर व खसरा संख्या 657/338 रकबा 3.2375 हैक्टर, खसरा संख्या 658/338 रकबा 3.2375 हैक्टर कुल रकबा 12.5534 हैक्टर की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

(SDO) सेड़वा